

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक: एफ 27(02) ग्रावि/इं.आ./जीओआई/2014-15 दिनांक 21 अक्टूबर, 2014


समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
राजस्थान।

विषय :- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में स्वीकृतियां जारी करने के क्रम में।

इन्दिरा आवास योजना की समीक्षा बैठकों में यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि दिनांक 01.04.2014 के अनुसार इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शेष प्रतीक्षारत परिवारों में से बहुत से परिवार वर्तमान में विभिन्न कारणों से उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2014-15 में जिलों को जो वर्गवार लक्ष्य आवंटित किये हैं, उनकी पूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है अर्थात् वर्गवार पात्र लाभार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण लक्ष्य अनुसार स्वीकृतियां जारी नहीं हो पा रही है।

सतत प्रक्रिया के अनुसार बीपीएल सूची में अपील के माध्यम से प्रत्येक जिले में नये परिवारों को नाम सम्मिलित किया जा रहा है। अतः ऐसे जिले जिनमें इन्दिरा आवास की स्थाई प्रतीक्षा में वर्गवार लक्ष्य अनुसार पात्र परिवार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उन बीपीएल सूची में जो नये नाम जोड़े गये हैं, उनमें से वर्ष 2014-15 हेतु वर्गवार लक्ष्यानुसार उपलब्ध नहीं हो रहे परिवारों के स्थान पर नये पात्र परिवारों का वरीयता के आधार पर चयन कर आवास निर्माण की स्वीकृति जारी की जावे।

अतः वर्ष 2014-15 में जिलों हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सम्पूर्ण स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव (ग्रावि)